(d) FCI has formulated a rehabilitation scheme for Talcher plant at a cost of Rs. 137·94 crores for achieving 60% capacity. No decision has been taken on the proposal.

Fertilizer Subsidy Payments

1169. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the amount of fertilizer subsidy payments as against the total subsidy requirement during the year 1991-92 and what is the resultant gap;

(b) what are the reasons thereof;

(c) what is the estimated fertilizer subsidy payments required during 1992-93 carrying forward the uncovered outstanding from 1991-92; and

(d) what is its overall impact on the fertilizer units in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) An amount of Rs. 4800 crores is likely to be paid as fertilizer subsidy during the year 1991-92 as agninst the anticipated requirement of about Rs. 6200 crores leaving a resultant gap of about Rs. 1400 crores.

(b) Normally, every yeat some subsidy payments are carried over to the next year. However, the carry over during 1991-92 would be slightly larger due to financial constraints.

(c) The estimated fertilizers subsidy required during the financial year 1992-93 would be around Rs. 6400 crores.

(d) The affected units are facing cash flow problems.

Closing of Fertilizers Factory at Gorakhpur

1170. SHRI ASHWANI KUMAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Question 1596 given in the Rajya Sabha on 12th September, 1991 and state:

(a) whether Government have since received the recommendation of the Board of Director of Food Corporation of India on health survey; if so, the details thereof; and

(b) by when the factory is likely to restart?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) The Gorakhpur fertilizer factory is owned by the Fertilizer Corporation of India, and not by Food Corporation of India. The recommendations of the Board of Directors of the Fertilizer Corporation of India are still awaited.

(b) Pending receipt of health study report, if it is not possible at this stage to indicate any definite date for re-start of the Gorakhpur factory.

उर्वरक एककों के नाम और उनकी अवस्थिति

1171. श्री अजीत जोगी :

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उर्वरक एककों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत दो वर्षों के दौरान अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए अनुमति मांगी है और वे एकक कहां-कहां स्थित हैं ; और

(ख) आज की स्थिति के अनुसार प्रत्येक अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) और (ख): उत्पादन बढ़ाने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु अनुमति मांगने वाले उर्वरक एककों के नाम तथा स्थिति तथा उस पर की गयी कार्यवाही नीचे दी गयी है :—

क्रमांक	कम्पनी का नाम	संयंत्र की स्थिति	उत्पाद	वर्तमान क्षमता (000 टन)	अपेक्षित क्षमता में वृद्धि (000 टन)	वर्तमान स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि०	हजीरा	निट्रोफास्फेट, सी ए एन, अमोनियम निट्रेट, सांद्रिक निट्रिक एसिड	यूरिया—1452	291—निट्रो फास्फेट 198—सी ए एन 45—अमो० निट्रेट 16.5—सांद्रित निट्रिक एसिड	गैस आवंटन सुनिश्चित नहीं की गयी है।
2.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि०	पलवल	यूरिया	शून्य	726—यूरिया	गैस आवंटन सुनिश्चित नहीं की गयी है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि०	काण्डला	डी ए पी और कम्प्लेक्स	पी2ओ5 के रूप में 309	पी2ओ5 के रूप में 309	इफको को व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
4.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	मद्रास	यूरिया एन पी के	292 540	170 शून्य	सरकर ने 15-5-91 को परियोजना को मंजूरी दी।
5.	राष्ट्रीय कमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	थाल	निट्रो फास्फेट सी ए एन	शून्य शून्य	शून्य 360 शून्य 322	वर्तमान स्थिति आर० सी० एफ० को पर्यावरणात्मक दृष्टिकोण से सिद्धांतरूप में प्राप्त करना है। गैस आवंटन सुनिश्चित नहीं की गयी है।
6.	जुआरी एग्रो कैमिकल्स लि०	गोवा	कम्पलेक्स उर्वरक	पी2ओ5 के रूप में 111	पी2ओ5 के रूप में 69	चालू औद्योगिक नीति के अध्यधीन किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तथापि, पार्टी को यह सलाह दिया गया है कि यदि वे वित्तीय सहायता में रुचि रखते हों तो वे लोग उर्वरक उद्योग समन्वय समिति को आंकड़े भेज देवें।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	मंगलौर कमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	पनमबूर, मंगलौर	फास्फोरिक एसिड	शून्य	134	चालू औद्योगिक नीति के अध्यधीन किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है तथापि पार्टी कोयह सलाह दिया गया है कि यदि वे आर्थिक सहायता में रुचि रखते हों तो वे एफ आई सी सी को आंकड़े प्रस्तुत करें।
8.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स लि०	नर्मदानगर	अमोनिया	446	116	—वही—
9.	साउदर्न पेट्रोकैमिकल्स लि०	तूतीकोरिन	डी ए पी	150	90	—वही—
10.	ई आई डी पैरी (आई) लि०	इन्नौर	(1) अमोनियम फास्फेट	77,221	15,970	उच्चतर क्षमता की पहचान के लिए 1989 में यह आवेदन प्राप्त हुआ और मंजरी मिल गयी।
			(2) फास्फेरिक एसिड (पी.ओ5 जैसा)	15,166	1,893	
			(3) सल्फ्यूरिक एसिड	79,197	11,219	
11.	वरिन्द्र एग्रो कैमिकल्स लि०	संगरूर	एस एस पी	66	66	आवेदन निरस्त किया गया।

1	2	3	4	5	6	7
12.	शिवालिक फर्टिलाइजर्स लि०	होशियारपुर	एस एस पी सल्फ्यूरिक एसिड	132 69.5	66 13	आवेदन निरस्त किया गया।
13.	त्रिमूर्ति फर्टिलाइजर्स	कानपुर	एस एस पी	66	66	—वही—
14.	रामा फास्फेट्स लि०	सांवर इन्दौर	एस एस पी सल्फ्यूरिक एसिड	66 33	92.5 67	—वही—
15.	राशि फर्टिलाइजर्स लि०	चासिक	एस एस पी	33	99	—वही—
16.	कृष्णा इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लि०	प० गोदावरी	एस एस पी सल्फ्यूरिक एसिड	50.8 16.76	15.2 93.24	—वही—
17.	फास्फेट कम्पनी लि०	रिशरा प० बंगाल	एस एस पी सल्फ्यूरिक एसिड	108.00 61.00	60 24.75	नई औद्योगिक नीति के अनुसार कोई लाइसेंस अपेक्षित नहीं है। तथापि एस एस पी के संबंध में आर्थिक सहायता के लिए आवेदनकर्ता को उर्वरक उद्योग समन्वय समिति से सम्पर्क करना होगा।

1	2	3	4	5	6	7
18.	वीरेन्द्र एग्रो केमिकल्स लि०	संगरूर	एस एस पी सल्फ्यूरिक एसिड	66	55.256 (पुनः पृष्ठांकन)	ये आवेदन 1990 के दौरान प्राप्त किये गये । संबद्ध एककों की तकनीकी क्षमता की विस्तृत जानकारी के लिए जून, 1991 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन हुआ । उसी बीच, जुलाई 1991 में उर्वरक उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया । आवेदकों को उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के सम्पर्क से वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में ब्यौरे तय कर लेना होगा ।
19.	श्री एसिड एण्ड केमिकल्स लि०	मोरादाबाद	एस एस पी	66	36.000 (पुनः पृष्ठांकन)	—वही—
20.	श्रीनिवास फर्टिलाइजर्स लि०	झांसी	एस एस पी	66	6.316 (पुनः पृष्ठांकन)	—वही—
21.	रामगंगा फर्टिलाइजर्स लि०	मोरादाबाद	एस एस पी	66	20.017 (पुनः पृष्ठांकन)	—वही—
22.	दि रामपुर डिस्टीलरी एण्ड केमिकल्स कं० लि०	रामपुर	एस एस पी सल्फ्यूरिक एसिड	66 33	16.807 2.881 (पुनः पृष्ठांकन)	—वही—

1	2	3	4	5	6	7
23.	उदयपुर फास्फेटस एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	उदयपुर	एस एस पी सल्फ्यूरिक एसिड	66 33	8.089 5.474 (पुनः पृष्ठांकन)	ये आवेदन 1990 के दौरान प्राप्त किये गये । संबद्ध एककों की तकनीकी क्षमता की विस्तृत जानकारी के लिए जून, 1991 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन हुआ । उसी अवधि बीच जुलाई, 1991 में उर्वरक उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिय गया । आवेदकों को उवरक उद्योग समन्वय समिति के सम्पर्क से वित्तीय सहायता के संबंध में ब्यौरे तय कर लेना होगा ।
24.	खेतान कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	खरगांव	एस एस पी	66	16.393 (पुनः पृष्ठांकन)	—वही—
25.	भारत फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज लि०	थाने	एस एस पी	66	9.822 (पुनः पृष्ठांकन)	—वही—
26.	ई आई डी पैरी (इंडिया) लि०	मद्रास	एस एस पी सल्फ्यूरिक एसिड	48 16.5	18.000 8.585 (पुनः पृष्ठांकन)	—वही—